रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1977/माघ 25, 1898
No. 68] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1977/MAGHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th February 1977

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the scheduled industry of textiles as mentioned in column (2) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a case for the purposes of the said Act for a period of one year commencing from the 1st March, 1977 at such rates as are specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Serial Number	Description of classes of goods	Rate of duty of excise per tonne.
(1)	(2)	(3)
1.	Carpet backing	Rs. 6·30 P (Rupees six and paise thirty only).
2.	Hessian and jute fabrics other than sacking, carpet backing and cotton bagging	Rs. 4·50 P (Rupees four and paise fifty only)
3.	Sacking, jute twines and yarns	Rs. 3·75 P (Rupees three and paise seventy-five only).

(1)	(2)	(3)
4. Cotton bagging		Rs. 2·00 P (Rupees two only).
5. The manufactures (other than those specified at serial numbers 1 to 4 above) containing 50% or more of jute by weight		Rs. 2·00 P (Rupees two only).

[No. F. 13(25)/LP/74]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1977

का० आ० 162 (अ).—केन्द्रीय सरकार (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा वर्णित वस्त्रों के अनुसूचित उद्योगों में सम्पूर्णतः या अंशतः पटसन में विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर, 1 मार्च, 1977 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	मालों के वर्गों का वर्णन	प्रतिमीटरी टन उत्पाद-शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	गलीचा अस्तर	6.30 रु० (केवल छह रुपये तीस पैसे)
2.	बोरों, गलीचा स्तर और सूती बोरा वस्त्र से भिन्न हैसियन और पटसन के कपड़े	4.50 रु० (केवल चार पये पचास पैसे)
3.	बोरे, पटसन रज्जु और तंतु	3.75 रु० (केवल तीन पये पचहत्तर पैसे)
4.	सूती बोरा कपड़ा	2.00 रु० (केवल दो रुपये)
5.	ऐसे विनिर्माण (उन्हें भिन्न जो ऊपर की क्रम सं० 1 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं) जिनमें पटसन की मात्रा कुल भार का 50% या अधिक हो ।	2.00 रु० (केवल दो रुपये)

[सं० फा० 13(25)/ल० प०/74]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977